संख्या— 1604 / 60—3—2019—6(सा0) / 19

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग—3 **लखनऊः दिनांकः 16 अगस्त, 2019**

विषयः—मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना—आई0टी0आई0 डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं की अर्हता के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या—436 / 60—3—2019—6(सा0) / 19टीसी, दिनांक 07.03.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा—निर्देश मार्गदर्शिका सहित जारी किये गये हैं।

2. योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 07.03.2019 के प्रस्तर—3 में षष्टम श्रेणी में यह उल्लिखित है—''ऐसी बालिकायें जिन्होंने **कक्षा—12वीं उत्तीर्ण** करके स्नातक अथवा दो वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो''। उक्त शासनादेश दिनांक 07.03.2019 के साथ संलग्न मार्गदर्शिका के पृष्ठ—8 पर उल्लेख है कि "स्नातक डिग्री में बी0ए0, बी0कॉम0, बी0एस0सी0 या अन्य समकक्ष डिग्रियाँ शामिल होंगी तथा 02 वर्षीय मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स में पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, **आई0टी0आई0,** नर्सिंग, प्रबंधन इत्यादि समकक्ष कोर्स मान्य होंगे"। उल्लेखनीय है कि **आई0टी0आई0 में 10वीं कक्षा के बाद भी प्रवेश सम्भव है।**

3. इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया है कि योजना के मूल शासनादेश दिनांक 07.03.2019 तथा उसके साथ संलग्न मार्गदर्शिका एवं आवेदन पत्र में **जहाँ भी '12वीं कक्षा' का उल्लेख है उसे '10वीं / 12वीं कक्षा' पढ़ा जाए।** अतः शासनादेश के संगत अंशों में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :—

1— **शासनादेश के प्रस्तर—3 की तालिका में अंकित षष्टम श्रेणी** :—

मूल प्रावधानः— ''ऐसी बालिकायें जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो''।

C-2/Desktop/Kanya G.O.

संशोधित प्रावधानः– "ऐसी बालिकायें जिन्होंने **10वीं / 12वीं उत्तीर्ण** करके स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो"।

2– **शासनादेश के साथ संलग्न मार्गदर्शिका के पृष्ठ–2 का प्रस्तर–6ः–**

मूल प्रावधानः– "षष्टम् श्रेणी के अन्तर्गत् वह सभी बालिकायें सम्मिलित होंगी, जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक–डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो"।

संशोधित प्रावधानः– "षष्टम् श्रेणी के अन्तर्गत् वह सभी बालिकायें सम्मिलित होंगी, जिन्होंने **10वीं / 12वीं कक्षा** उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक–डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो"।

3– **शासनादेश के साथ संलग्न मार्गदर्शिका के पृष्ठ–2 के प्रस्तर–6 की तालिकाः–**

मूल प्रावधानः– "षष्टम् श्रेणी के अन्तर्गत् वह सभी बालिकायें सम्मिलित होंगी, जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक–डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो"।

संशोधित प्रावधानः– "षष्टम् श्रेणी के अन्तर्गत् वह सभी बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने **10वीं / 12वीं कक्षा उत्तीर्ण** करके चालू शैक्षिक सत्र के दौरान स्नातक–डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो"।

4– **शासनादेश के साथ संलग्न मार्गदर्शिका के पृष्ठ–7 का तीसरा शीर्षक :–**

मूल प्रावधानः– "12वीं कक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र/अंकपत्र अपलोड/संलग्न करना अनिवार्य होगा"।

संशोधित प्रावधानः– **"10वीं / 12वीं** कक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा **10वीं / 12वीं** कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र/अंकपत्र अपलोड/संलग्न करना अनिवार्य होगा"।

5– **शासनादेश के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप के पृष्ठ–5 में श्रेणी–6ः–**

मूल प्रावधानः– "12वीं कक्षा कहाँ से उत्तीर्ण करी है, विद्यालय का नाम व पता"।

संशोधित प्रावधानः– **"10वीं / 12वीं** कक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की है, विद्यालय का नाम व पता"।

6– **शासनादेश के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप के पृष्ठ–5 (निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करें)ः–**

मूल प्रावधानः– "कक्षा 12 उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र/अंक पत्र"।

संशोधित प्रावधानः– "कक्षा 10/कक्षा 12 उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र/अंक पत्र"।

4. शासनादेश संख्या–436/60–3–2019–6(सा0)/19टीसी, दिनांक 07.03.2019 तथा शासनादेश के साथ पठित मार्गदर्शिका और आवेदन पत्र का प्रारूप उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

उपरोक्तानुसार योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1604 (1)/60–3–2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/बाल विकास एवं पुष्टाहार/ग्राम्य विकास/नगर विकास/बेसिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/कृषि शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/वित्त/कार्मिक एवं न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
6. वेब मास्टर, महिला कल्याण निदेशालय को इस निर्देश के साथ कि कृपया संशोधित उपरोक्तानुसार योजना की मार्गदर्शिका, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं शपथ पत्र विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

C-2/Desktop/Kanya G.O.